

**No. 14013/01/2021-BOC (S&DD/P&C)**  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**  
**BUREAU OF OUTREACH AND COMMUNICATION**  
**(SONG AND DRAMA DIVISION)**

\*\*\*\*\*

**Applications are invited from willing Private Cultural Troupes and Casual Artistes (also known as Individual Artistes) for registration/ empanelment with Regional Outreach Bureaus (ROBs) under Bureau of Outreach and Communication (BOC) for inter-personal communication through traditional and folk performing arts etc.**

Bureau of Outreach and Communication (BOC) under Ministry of Information and Broadcasting, Government of India with Regional Outreach Bureaus (ROBs) and Field Outreach Bureaus (FOBs) engages in inter-personal communication through live media utilizing wide range of folk and traditional performing arts for dissemination of policies, programmes and schemes of the Central Government. Themes, such as Communal Harmony and National Integration, eradication of social evils, empowerment of women, environment and developmental schemes mainly for rural areas, health & family welfare, education etc. are the major issues covered through the activities by way of utilizing popular folk and traditional forms in the respective dialects in various parts of the country.

2. Applications are invited for registration in two categories namely Private Registered Troupes (PRTs) and Casual Artistes/Individual Artistes for ROBs at **Bhopal, Chandigarh, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Jammu, Raipur, Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Dehradun, Guwahati, Kolkata (including Siliguri), Lucknow, Pune and Trivandrum** under BOC, New Delhi (HQ) of Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. The screening/registration will be as per the updated guidelines dated 04.07.2018 No. 14011/01/2018-P&C incorporating amendments approved by Ministry of Information and Broadcasting dated 28.06.2018, which are available on the website **www.davp.nic.in**. The applicants are advised to carefully go through the guidelines.

The screening will be done by a Screening Committee constituted with the approval of Ministry of I&B, Government of India and incorporated in the guidelines for screening/registration referred in para 2 above.

3. Applications in the prescribed proforma are invited from willing Private Cultural Performing Parties/Troupes of Drama, Nukkad-Natak, Dance-Drama, Composite Programmes, Folk and Traditional Recitals (FTR), Magic, Mythological Recitals (MR), Puppetries etc. and from individual artistes from **Madhya Pradesh, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Telengana, Manipur, Mizoram, Nagaland, Rajasthan, Jammu & Kashmir UT, Ladakh UT, Chhattisgarh, Gujarat, Daman Diu UT, Karnataka, Odisha, Uttarakhand, Assam, Sikkim, Tripura, West Bengal, Uttar Pradesh, Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli UT, Kerala and Lakshadweep Island** for a period of three years.

The applicants shall have the knowledge of local dialects and local folk and traditional live art forms. Applications are also invited for the empanelment of individual artistes of Drama, Dance, Instrumental, Singer and other performing branch. **The prescribed proforma is at Annexure I** which is valid for both Private Cultural Troupes and Casual/Individual/Empanelment of Artistes. The applicants may use additional sheets for providing detail information, if required.

**The applicants are requested to specifically note:**

4. Applications for registration /empanelment under BOC (HQ) and ROBs are invited from the Private Cultural Troupes and Individual/Casual Artistes from the Indian Citizens who have specialization in the field of Drama, Dance-Drama, Street Play & Composite Troupe, Folk & Traditional Recitals, Magic, Puppet, Mythological Recitals etc and related theatrics' tech etc.
5. Each Troupe/Individual Artiste will be eligible for registration from one State/ UT only to present programmes in the language of the State concerned.
6. Category/Language and State/UT must be indicated at the top of the envelop.
7. Only one Private Cultural Troupe and Casual/Individual Artiste can apply for registration under BOC/ROBs for one region. A Private Cultural Troupe/Artiste registered at a given place or city must apply as per the given schedule of Regional Office:

Name & Jurisdictions of the Regional OutreachBureaus (ROBs):			Application to be sent
Sl.No.	ROBs	Jurisdiction	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bhopal	Madhya Pradesh State.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, M-155 Gautam Nagar near Chetak Bridge, Bhopal- 462023
2.	Chandigarh	Haryana, Punjab, Himachal Pradesh States and Chandigarh UT.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, Room No. 28, Ground Floor, Kendriya Sadan, Sector-9-A, Chandigarh. Pin- 160009
3.	Imphal	Manipur, Mizoram and Nagaland State	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, Wangkhei Yonglan Leirak, Imphal East, Manipur-795005.
4.	Jaipur	Rajasthan State	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, Room No. 305-306, 3 <sup>rd</sup> Floor, Block-A, Kendriya Sadan Parisar, Sector 10, Vidyadhar Nagar, Jaipur-302039 (Rajasthan)
5.	Jammu	UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, 2 <sup>nd</sup> Floor, Radio Colony, Media Centre Building, Panjtirthi, Jammu-180001.
6.	Raipur	Chhattisgarh State	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, 2 <sup>nd</sup> Floor, Chhattisgarh Samvad Bhavan, Chhotapara, Raipur (Chhattisgarh) - 492001

7.	Ahmedabad	Gujarat State and Daman Diu.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, 4C, 4 <sup>th</sup> Floor, Neptune Tower, Shopping Centre, Nehru Bridge Corner, Ashram Road, Ahmedabad-380009 (Gujarat)
8.	Bengaluru	Karnataka State.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, 'C' Wing, Ground Floor, Kendriya Sadan, Kormangala, Bengaluru-560034 (Karnataka).
9.	Bhubaneswar	Odisha State.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, NABM Admn. Building, Near OMFED Square, Chandrasekharapur, Bhubaneswar- 751017 (Odisha)
10.	Dehradun	Uttarakhand State.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, O-123, Vasant Vihar, Phase-I, Laxmi Bhawan, Dehradun-248006 (Uttarakhand) Ph. No. 0135-2766340/ 2975906
11.	Guwahati	Assam, Sikkim and Tripura State	The Director General (North East), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, Soochna Bhawan (North Wing), Assam Khadi & Village Industries Board Complex, Maniram Dewan Road, Chandmari, Guwahati-781003 (Assam)
12.	Kolkata including Siliguri	West Bengal State.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, CGO Complex, DF Block, 2 <sup>nd</sup> Floor, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata -700064.
13.	Lucknow Including Moradabad, Agra and Varanasi	Uttar Pradesh State.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, Kendriya Bhawan, 2 <sup>nd</sup> Floor, Hall No. 3, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024.
14.	Pune	Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli States/UTs.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, Ground Floor, MHS Carrier Building, BSNL Telephone Exchange Compound, Camp, Pune- 411001 (Maharashtra) Ph No.- 020-29993430
15.	Trivandrum	Kerala State and Lakshadweep Island.	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, T.C. No. C-253255, Uppalam Road Statue, Trivandrum - 695001 (Kerala). Ph No.- 0471-2471483
16.	Hyderabad	Telangana State	The Additional Director General (Regional), Regional Outreach Bureau, Ministry of I&B, Government of India, Ground Floor, Room No. 007, Kendriya Sadan, Sultan Bazar, Koti, Hyderabad-500095 (Telengana)

8. 3(Three) copies of recent Passport Size Photographs of the leader/individual artiste, duly attested by the Gazetted Officer/Bank Manager/School Principal/State Government Officer/Officers of any State Govt. of Offices/Undertaking Officers to be enclosed with the Application Form.

9. Three Copies of recent group-photographs of the Troupes to be enclosed with the application positively.

Sl. No.	Troupe Size	Numbers of Artistes/ Performers Including Extra Artistes.	Size of Group-Photographs.
1.	Troupes consisting with 10(Ten)-Artistes/ Performers.	10(Ten) to 15(Fifteen) Artistes/ Performers.	Photograph would be "Cabinet Size".
2.	Troupes consisting with 08(Eight)-Artistes/ Performers.	08(Eight) to 12(Twelve) Artistes/ Performers.	-Do-
3.	Troupes consisting with 06(Six)-Artistes/ Performers.	06(Six) to 09(Nine) Artistes/ Performers.	Photograph would be "Post Card Size".
4.	Troupes consisting with 04(Four)-Artistes/Performers.	04(Four) to 06(Six) Artistes/ Performers.	-Do-

- The above photographs should be duly attested by the Gazetted Officer/Bank Manager/School Principal/Post Masters/State Government Officer/Officers of any State Govt. of Offices/ Undertaking Officers and these have to be enclosed with the Application Form.

10. Along with the photographs, a separate sheet showing the details of each Artiste/performer, like (1) Name, (2) Father's/Husband's Name, (3) Address with residential proof, (4) Whether belong to SC/ST/OBC, (5) Educational qualification, (6) Religion, (7) Mother Tongue, (8) Nationality, (9) Role in the Troupe/Party. This sheet has to sign by the Troupe leader.

11. Age limit of all the artistes including leader of a particular troupe should not be **less than 18(eighteen) years old** as on **14.05.2022**.

12. The Cultural Troupes, Artistes, and Casual /Individual Artistes will submit their application along with the **Two Character Certificates of each artiste, certified by two different responsible persons at the time of application**. The Character certificates should not be older than two years. These certificates may be obtained either from any Gazetted Officer or elected members of local body/Panchayat head with the seal or any legislative body superior to local bodies, Bank Officers of PSU Banks, Officer of any Govt. of India/State Govt. undertakings, Govt. Doctors, Post Masters, any Registered Medication Practitioners (RMPs), Members/Officers of Army or any Central/State Government functionaries, School Teachers (from any Recognized School).

13. The leader of the Troupe and Casual/Individual Artistes preferably should be a literate and should be able to read, write and speak fluently the regional language. The leader of the group should be a good public communicator and he/she should preferably be an artiste and if not, he/she must be having a good understanding of stage and the live arts. He /She must possess good knowledge of Government Programmes and policies and should be aware about the various important issues concerning the country.

14. TA/DA will not be admissible for appearing in the audition/screening test before the Screening Committee in all cases.

14. (A) Entitlement for screen/audition tests for Registrations:

Sl. No.	Category	Troupe's size		Number of artistes/performers allowed screening / auditioning tests.	Criteria for presentation of programmes in the field.
		Allowed for regular programming activities.	Allowed for keeping Extra Artists/ Performers		
1.	Drama/Nukk ad-Natak/Dance-Drama/ Composite	Troupe's size consisting with 10(Ten)-Members	05 (Five) members only.	Up to 15(Fifteen)-Artistes/ Performers.	Private Registered Troupes who perform in the field must be from the list of approved artistes at the time of Screening/ Audition as mentioned above.
		Troupe's size consisting with 08(Eight)-Members.	04 (Four) members only.	Up to 12(Twelve)-Artistes/ Performers.	-do-
2.	Folk & Traditional Recital (FTR), Mythological Recitals (MR), Magic, Puppet and others.	Troupe's size consisting with 06(Six)-Members.	03 (Three) members only.	Up to 09(Nine)-Artistes/ Performers.	-do-
		Troupe's size consisting with 04(Four) Members.	02 (Two) members only.	Up to 06(Six)-Artistes/ Performers.	-do-

(B) Change in party members is allowed up to the date of Screening/Audition test, thereafter change in party, members is strictly not allowed. The Department itself will take photographs of the Artistes on the stage at the time of the Screening in presence of Panel of Judges, and on that basis the group identity card will be issued for the selected parties/troupes after declaration of the results (subject to fulfillment of pre-requisite formalities as mention in Sl. Nos. 5 & 7).

15. Non-refundable Registration Fees has to be paid through Demand Draft along with the Application. The details of the Non-refundable Registration fees:

(a) Non-refundable Registration fees would be as Rs.2,000/- (Rupees Two thousand only) for the parties/troupes consisting with 10(Ten) members of Artistes/Performers and above.

(b) Non-refundable Registration fees would be as Rs.1,000/- (Rupees One thousand only) for the parties/troupes consisting with less than 10(Ten) members of Artistes/Performers. All Individual Artiste are also required to deposit Rs. 1,000/- (Rupees One thousand only).

(c) **Non-refundable Registration fee has to be paid by Demand Draft drawn in favour of Drawing and Disbursing Officer, Regional Outreach Bureau or Pay and Accounts Officer, Pay and Accounts Office of the concerned State wherever it is applicable in**

**respect of all applications. For any clarification on deposit of demand draft, applicants may contact their respective Regional Outreach Bureau.**

**16. Exemption to make payment of Registration fees:**

(1) Registration fee would not be required in case of troupe headed by **(i) SC or (ii) ST or (iii) Woman. Troupe/Troupes having 50% of members of ST or SC or Woman are also exempted from registration fee.** Individual Artistes who belong to SC/ST/ Woman category are also exempted. Troupes seeking such exemption must submit relevant certificates along with application forms positively.

(2) Registration fee would not be required in case of troupe is headed by SC/ST Women or is having 50% of total representative of the troupe strength of above three categories. Troupes seeking such exemption must submit relevant certificates along with application forms. This Registration fee would not be applicable for the Cultural Troupes or individual Artistes stationed at Left Wing Extremism District identified by Ministry of Home Affairs, North Eastern States i.e., Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim and Tripura states and also Jammu – Kashmir State, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep Island. To seek exemption under this category, all troupes member have to belong to the concerned state/areas for example a party/troupe/artiste based in Meghalaya seeks exemption from registration fees. It will be entitled only when all its troupe member belong to Meghalaya and have to submit document proof like domicile certificate in respect of its team members. However, troupes/artistes seeking such exemption are requested to submit relevant certificates along with the application forms.

(3) The **Registration fee would not be required** for the Casual Artistes/Individual Artistes/Empanelled Artistes stationed at **Left Wing Extremism Districts** identified by Ministry of Home Affairs as per the details given below:

Sl. Nos.	States	Name of Identified Districts
1.	Telangana(8)	Adilabad, Komaram-Bheem, Bhadradi-Kothagudem, Jayashankar-Bhupainpally, Khamam, Peddapalle, Mancherla Warangal Rural.
2.	Chhattisgarh (14)	Bastar, Bijapur, Dantewada, Kabridham, Kanker, Narayanpur, Rajnandgaon, Mahasamund, Balod, Sukma, Dhantari, Gariyaband, Balarampur, Kondagaon.
3.	Madhya Pradesh(2)	Balaghat, Mandla.
4.	Maharashtra (3)	Chandrapur, Gadchiroli, Gondia.
5.	Odisha(15)	Koraput, Malkangiri, Nabarangpur, Rayagada, Sambalpur, Sundargarh, Nayagarh, Deogarh, Kalahandi, Boudh, Angul, Bargarh, Kandhamal, Bolangir, Nuapada.
6.	Uttar Pradesh(3)	Chandauli, Mirzapur, Sonbhadra.
7.	West Bengal(1)	Jhargram.
8.	Kerala(3)	Malappuram, Palakkad, Wayanad.

17. The Private Cultural Troupe and Casual /Individual Artistes working under BOC/ROBs are only under contractual assignment. They are not going to be considered as employees of BOC/ROBs, Government of India in any manner whatsoever. Government of India is not responsible or compulsorily obliged to provide or allocate programmes to these PRTs once they are registered. Empanelment only means registration for performance as and when required by the Government.

18. Members of Private Registered Troupes (PRTs) and Casual/Individual Artistes, while performing on the above contractual assignment have to maintain discipline all the time. Their behaviour should be exemplary before the public, while performing under the banner of Bureau of Outreach and Communication (BOC) / Regional Outreach Bureaus (ROBs),

Government of India. Department would reserve the right to debar any such troupe/artist if verifiable complain has been received against any such artist/PRT. The BOC & ROBs concerned would not be responsible for any individual's activity of the members of PRT towards the civil society.

19. On completion of the screening/audition, the result of the screened troupes will be recommended by the Screening Committee for registration with BOC/ROBs under BOC. After receiving the recommendations of the Screening Committee, the registration would be given to the selected troupes/artistes only.

20. **Only complete application will be accepted.** After scrutiny of the applications, the troupe leaders/individual artistes of whom the applications are found correct will be requested to appear for screening/audition test before the Screening Committee Members along with their co-artistes/performers and other documents.

21. **All those Private Cultural Troupes and Casual/Individual Artistes scoring 50% and above marks would be eligible for empanelment with BOC/ROBs.**

22. The screening will be conducted as per guidelines No. 14011/01/2018-P&C, dated 04.07.2018 referred to in para 2 of this advertisement. The recommendations of the Screening Committee after the approval of Head, BOC, New Delhi (HQ) shall be final.

23. Performance will be assessed on the basis of costumes, make-up, use of properties, use of musical instruments and overall performances including efficiency in putting across the required message in an attractive manners etc.

24. The Programmes will be offered only to those registered Private Cultural Troupes/ Casual/Individual Artistes who is strictly comply with all the instructions issued by the Department from time to time with regard to presenting programmes according to schedule, submission of bills in time with necessary documents like photograph in proof of presenting the programmes reports including feed back of the executed programmes etc.

25. On completion of the programmes & submission of bills and relevant documents/certificates, payment of executed programmes would be released as per the enhanced approved Grade.

26. Payments of the fees of executed programmes would be made in favour of the concerned Private Troupe/Troupe Leaders/Members/Empanelled Artists registered with BOC/ROBs as per the prescribed rates & guidelines of the Ministry of I&B's ID No. 1/2(9)10-FS, dated 07.06.2018.

As per the approved rates and guidelines, the following is the structure:

**I. Troupe Category: there may be only PRT/EA without categorization.**

i) **Troupe Size:** Troupes will be of 4 sizes i.e. 4/6/8/10 members including the Troupe leader.

**II Fee Structure:** The fee structure may consist of 3 components namely:

i) Performance fee to individual member of the troupe and its leader/EA.

ii) Lump sum fee to the troupe leader as logistic charges for PAS (Public Address System), troupe maintenance, photographs (softcopy), banner etc.

iii) Journey fares which will be admissible only if the troupe/EA perform outside

the State of their registration.

### III) Performance Fee of PRTs:

- i) Performance fee of the Troupe Leader – Rs. 1000/day.
- ii) Performance fee of the troupe member – Rs. 800/day.
- iii) In the event, there are more than one programme in a day, additional performance fee @Rs. 300 per day (on the days with more than one programme) may be paid to both the troupe leader and troupe members.

**IV. Logistic charges to troupe leader:** Logistic charges may be paid to troupe leader @ Rs. 1500/2000/2500/3000 per day for 4/6/8/10 member troupe respectively per day. The logistic charges will include charges on account of maintenance of PAS (Public Address System), troupe maintenance, photographs (softcopy) of the programme and preparation banner etc.

27. Based on the above, following will be the troupe wise consolidated fee:

Proposed (Single category in place of 'A', 'B', 'C', )						
Sl. Nos.	Troupe Size	Fee for Leader	Fee for members		Amount for Logistic charges.	Total
1.	10-Members	Rs.1,000/- Per Prog.	Rs.800/- X Rs. 7,200/-	9- Members = Per Prog.	Rs. 3,000/- Per Prog.	Rs.11,200/- Per Prog.
2.	08-Members	Rs.1,000/- Per Prog.	Rs.800/- X Rs. 5,600/-	7-Members = PerProg.	Rs.2,500/- Per Prog.	Rs.9,100/- Per Prog.
3.	06-Members	Rs.1,000/- Per Prog.	Rs.800/- X Rs. 4,000/-	5-Members = PerProg.	Rs.2,000/- Per Prog.	Rs.7,000/- Per Prog.
4.	04-Members	Rs.1,000/- Per Prog.	Rs.800/- X Rs. 2,400/-	3-Members = Per Prog.	Rs.1,500/- Per Prog.	Rs.4,900/- Per Prog.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In the event, there are more than one programme in a day, additional performance fee @ Rs.300/- (Rupees Three hundred only) per day (on the days with more than one programme) may be paid to both the troupe leader and troupe members.</li> </ul>						

### Fee Structure in respect of Individual Artistes:

Proposed (Single category in place of 'A', 'B', 'C', )		
Remuneration for local programmes (fee per day)	Remuneration for outstation programmes(fees per day)	Rehearsal fee per day
Rs.1,000/- (Rupees one thousand only) per programme.	Rs.1,500/- (Rupees One thousand five hundred only) per programme.	Rs.400/- (Rupees Four hundred only) Per Rehearsal.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In the event, there are more than one programme in a day, additional fee@ Rs.300/- (Rupees Three hundred only) per day on such programme days.</li> </ul>		
<b>Travelling Allowance:</b> 3 <sup>rd</sup> AC Rail Fair or Chair Car or Deluxe Buses (excluding Volvo).		

28. ROB concerned would be responsible to make payments for the executed



programmes, which have actually been offered by ROB concerned.

29. Programme will be offered as per the requirement of B O C / ROBs and based on availability of funds. BOC/ROBs will not give any guarantee or any type of assurance to offer any fix number of programmes per month or year.

30. Private Cultural Troupes/ Casual /Individual Artistes will be expected to undertake work even at short notice any where including far-flung border areas for 10-15 days at a stretch.

31. Applicants may note that the screening of performance will be done by Screening Committee as per applicable guidelines. The empanelment will be based on the performance during the screening and the assessment by the Screening Committee. No other factor will be taken into account for empanelment and this is the only established procedure as per guidelines. Applicants are advised not to get swayed away by persons/organizations promising their empanelment. The Screening Committee will not be guided by any external pressure for the empanelment.

32. The Head, BOC, New Delhi reserve the right to accept or reject the application without offering any reasons.

33. The details of this advertisement may be got from the **latest issue of Employment News, Rozgar Samachar, leading newspapers and website www.davp.nic.in**. If required for more details, troupe leader may contact with the Office of concerned ROB.

**34. Application duly filled in the prescribed Proforma should reach the concerned Regional Outreach Bureau of Bureau of Outreach and Communication at the address given in para 7 on or before 14<sup>th</sup> June, 2022 by 6:00 PM. This advertisement is being published in Employment News/Rozgaar Samachar. Local leading News Paper.**

35. This issues with the approval of Head, BOC.

Encl.: Annexure-I.

Joint Director (Programme),  
Bureau of Outreach & Communication,  
New Delhi(HQ)

\*\*\*\*\*

**REGISTRATION OF PRIVATE CULTURAL TROUPES/ INDIVIDUAL ARTISTES WITH REGIONAL OUTREACH**  
**BUREAU UNDER BUREAU OF OUTREACH & COMMUNICATION**  
**APPLICATION FORMAT**

Affix 3 copies of Passport Size Photographs of the Leader/ Individual Artistes (Casual Artistes) duly attested by the Gazetted Officer/ Bank Manager/ School Principal/ State Govt. Officers/ Officers of any State Govt. Offices/ Undertaking Officers.

1. Name of the Troupe/ Individual Artiste (in block letters) : \_\_\_\_\_

2. Name & Address of Leader/ Individual Artiste with resident proof: \_\_\_\_\_

3. Date of Birth of Troupe Leader/ Individual Artiste: \_\_\_\_\_

(Age as on 14.05.2022: \_\_\_\_\_ )

4. Father's/ Mother's/ Husband's/ Wife/ Guardian's Name: \_\_\_\_\_

5. Educational background of Troupe Leader/ Individual Artistes: \_\_\_\_\_

6. Experience, if any: \_\_\_\_\_

7. Details of performance in the past

(Enclosed addition sheets): \_\_\_\_\_

8. Type of performance (Drama/ Musical/ Dance Drama/ Puppet/

Magic/ Folk & Traditional Recital/ Mythological Recital/

Composite/ any other) : \_\_\_\_\_

9. Language of the performance : \_\_\_\_\_

10. Number of Artistes

(i) To be appeared before Screening Committee : \_\_\_\_\_ Male \_\_\_\_\_ Female \_\_\_\_\_ Total

(ii) For presentation of programmes

After getting registration : \_\_\_\_\_ Male \_\_\_\_\_ Female \_\_\_\_\_ Total

11. No. of Women/ SC/ ST Artistes of Troupe : \_\_\_\_\_ Women, \_\_\_\_\_ SC & \_\_\_\_\_ ST

12. Whether Amateur/ Professional : \_\_\_\_\_

13. Name of the Bank and Account No. of Troupe, if any : \_\_\_\_\_

14. Name/ Father's Name/ Husband's Name/

Guardian's Name, Address, age of Artistes

(Enclosed separate sheet/ documents) : \_\_\_\_\_

15. Details of Demand Draft Nos. : DD Number: \_\_\_\_\_

Enclosed with application : Date: \_\_\_\_\_, Rs. \_\_\_\_\_

(Rupees \_\_\_\_\_ only)

16. Nos. of documents enclosed with the Application: \_\_\_\_\_

17. Name & Address of two eminent persons : (1) \_\_\_\_\_  
Who could certify about the competence \_\_\_\_\_  
Of the troupe and leader as well : (2) \_\_\_\_\_  
(Witness by two persons) \_\_\_\_\_

18. Whether required character certificates and other Documents of all the Artistes including Leader/ Individual Artistes have been enclosed : \_\_\_\_\_

I hereby declare that all above statements and documents attached are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of Applicant (Troupe Leader/ Individual Artiste)

**FOR TROUPES ALREADY REGISTERED**

1. Name of the Troupe : \_\_\_\_\_
2. Name and address of the Troupe Leader : \_\_\_\_\_
3. Since when the troupe is registered : \_\_\_\_\_
4. No. of programmes allotted during the period : \_\_\_\_\_
5. Nos. of programmes executed/ performed : \_\_\_\_\_
6. Nos. of programmes refused/ not executed : \_\_\_\_\_
7. Nos. of Artistes changed/ dropped after screening : \_\_\_\_\_
8. Category in which troupe registered : \_\_\_\_\_
9. The name of ROB/BOC the troupe is attached with : \_\_\_\_\_
10. Enclosed a group photo of the members of the party already furnished : \_\_\_\_\_

I hereby declare that all above statements and documents attached are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of Applicant (Troupe Leader/ Individual Artiste)

**TO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION**

Sl. No.	Name of Artistes/ Leader	Father's/ Husband's Name	Address	Whether belong from SC/ST/OBC	Educational Qualification	Religion	Mother Tongue	Nationality	Role in the Troupe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

Date:

Signature of Troupe Leader

\*\*\*\*\*

सं. 14013/01/2021- BOC (S & DD/P & C)

भारत सरकार  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
लोक संपर्क और संचार ब्यूरो  
(गीत और नाटक प्रभाग)

\*\*\*\*\*

पारंपरिक और लोक प्रदर्शन कला आदि के माध्यम से अंतर-व्यक्तिगत संचार के लिए लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार (आरओबी) के साथ पंजीकरण/ सूचीबद्धता के लिए इच्छुक निजी सांस्कृतिक मंडलों और आकस्मिक कलाकारों (जिसे व्यक्तिगत कलाकारों के रूप में भी जाना जाता है) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (आरओबी) और क्षेत्रीय लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (एफओबी) के साथ लाइव मीडिया के माध्यम से अंतर-व्यक्तिगत संचार में संलग्न हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रसार के लिए लोक और पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं की विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यतः पर्यावरण और विकासात्मक योजनाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा आदि जैसे विषय देश के विभिन्न हिस्सों में संबंधित बोलियों में देश के विभिन्न हिस्सों में संबंधित बोलियों में लोकप्रिय लोक और पारंपरिक रूप का उपयोग कर क्रियाकलापों के माध्यम से प्रमुख मुद्दे कवर किए जाते हैं।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, नई दिल्ली (मुख्यालय) के तहत भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, रायपुर, अहमदाबाद, बंगलुरु, भुवनेश्वर, देहारादून, गुवाहाटी, कोलकाता, (सिलीगुड़ी सहित), लखनऊ, पुणे और त्रिवेंद्रम में प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के लिए दो श्रेणियों में नामतः निजी पंजीकृत मंडली (पीआरटी) और आकस्मिक कलाकारों/व्यक्तिगत कलाकारों में पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 28.06.2018 द्वारा अनुमोदित संशोधन को शामिल करते हुए दिनांक 04.07.2018 के

सं. 14011/01/2018-P & C के अद्यतित दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्रीनिंग/पंजीकरण की जाएगी, जो वेबसाइट [www.davp.nic](http://www.davp.nic) पर उपलब्ध हैं। आवेदकों को सावधानीपूर्वक दिशानिर्देशों को पढ़ने की सलाह दी जाती है।

जांच के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से एक जांच समिति गठित की जाएगी और ऊपर पैरा 2 में संदर्भित जांच/पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में शामिल किया जाएगा।

3. नाटक, नुककड़-नाटक, नृत्य-नाटिका, समग्र कार्यक्रम, लोक और पारंपरिक गायन (एफटीआर), जादू, पौराणिक गायन (एमआर), कठपुतली नृत्य आदि के इच्छुक निजी सांस्कृतिक प्रदर्शन करने वाले पार्टियों/मंडली से और मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, कर्नाटक, ओड़ीसा, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप द्वीप समूह से व्यक्तिगत कलाकारों तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदकों को स्थानीय बोलियों और स्थानीय लोक और पारंपरिक जीवित कला के स्वरूपों का ज्ञान होना चाहिए। नाटक, नृत्य, वाद्य, गायक और अन्य प्रदर्शनकारी शाखा के व्यक्तिगत कलाकारों की सूचीबद्धता के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक-1 पर है जो निजी सांस्कृतिक मंडलों और आकस्मिक/व्यक्तिगत/सूचीबद्ध दोनों के कलाकारों के लिए मान्य है। यदि आवश्यक हो तो आवेदक विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त पेज का उपयोग कर सकते हैं।

**आवेदकों को विशेष रूप से नोट करने का अनुरोध किया जाता है:**

4. भारतीय नागरिकों के निजी सांस्कृतिक मंडलों और व्यक्तिगत /आकस्मिक कलाकारों से लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (मुख्यालय) तथा प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के तहत पंजीकरण/सूचीबद्धता

के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनके पास नाटक, नृत्य-नाटक, नुक्कड़-नाटक और समग्र मंडली, लोक और पारंपरिक गायन, जादू, कठपुतली नृत्य, पौराणिक गायन आदि और संबंधित थियेटर टेक आदि गायन के क्षेत्र में विशेषता रखते हैं।

5. प्रत्येक मंडली/व्यक्तिगत कलाकार संबंधित राज्य की भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए केवल एक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश से पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

6. श्रेणी/भाषा और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश लिफाफे के शीर्ष पर इंगित किया जाना चाहिए।

7. एक क्षेत्र के लिए बीओसी/आरओबी से केवल एक निजी सांस्कृतिक मंडली और आकस्मिक/व्यक्तिगत कलाकार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। किसी दिए गए स्थान या शहर पर पंजीकृत एक निजी सांस्कृतिक मंडली/कलाकार को प्रादेशिक कार्यालय की दी गई अनुसूची के अनुसार आवेदन करना होगा:

प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो(आरओबी) का नाम और न्यायालय:			आवेदन पत्र भेजे जाने हेतु
क्रमांक	आरओबी	क्षेत्राधिकार	
(1)	(2)	(3)	(4)
.1	भोपाल	मध्य प्रदेश राज्य।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , एम 155-गौतम नगर चेतक ब्रिज के पास, भोपाल462023 -
.2	चंडीगढ़	हरियाणाहिमाचल प्रदेश ,पंजाब , राज्य और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , कमरा नं. 28, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9-ए, चंडीगढ़। पिन160009 -
.3	इंफाल	मणिपुरमिजोरम और नागालैंड , राज्य	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , वांगखेई योगलान लीराक 795005-मणिपुर ,इंफाल पूर्व ,।
.4	जयपुर	राजस्थान राज्य	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक),  प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , कमरा नंबर ,306-305 <sup>तीसरी</sup> मंजिल केन्द्रीय ,ए-ब्लॉक , सदन परिसर 10 सेक्टर ,विद्याधर नगर 302039-जयपुर ,

			(राजस्थान)
.5	जम्मू	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , दूसरी मंजिल , रेडियो कॉलोनी , मीडिया सेंटर बिल्डिंग , 18001-जम्मू , पंजतीर्थी।
.6	रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दूसरी मंजिल, छत्तीसगढ़ संवाद भवन , छोटापारा , रायपुर 492001 - (.ग.छ)
.7	अहमदाबाद	गुजरात राज्य और दमन दीव।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , 4सी, चौथी मंजिल, नेपच्यून टॉवर, शॉपिंग सेंटर, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 (गुजरात)
.8	बेंगलुरु	कर्नाटक राज्य।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , -बेंगलुरु , कोरमंगला , केन्द्रीय सदन , भूतल , विंग 'सी' । (कर्नाटक) 560034
.9	भुवनेश्वर	ओडिशा राज्य।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , एनएबीएम प्रशासन । भवन , ओमफेड स्क्वायर के पास , ( ओडिशा ) 751017 - भुवनेश्वर , चंद्रशेखरपुर
.10	देहरादून	उत्तराखंड राज्य।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक) , प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , ओ-देहरादून , लक्ष्मी भवन , 1-फेज , वसंती विहार , 123- ( उत्तराखंड ) 248006 फोन नंबर 2975906/2766340-0135
11	गुवाहाटी	असमसिक्किम और त्रिपुरा राज्य ,	महानिदेशक ,(पूर्वोत्तर) प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार , सूचना भवन (उत्तर विंग), असम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर, मनीराम दीवान रोड, चांदमारी , गुवाहाटी-781003 (असम)
.12	कोलकाता सिलीगुड़ी सहित	पश्चिम बंगाल राज्य।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ,



			सीजीओ कॉम्प्लेक्स ,डीएफ ब्लॉक ,दूसरी मंजिल ,1- सेक्टर , 700064- कोलकाता ,साल्ट लेक सिटी।
.13	लखनऊ जिसमें मुरादाबाद आगरा , और वाराणसी शामिल हैं	उत्तर प्रदेश राज्य।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार , केन्द्रीय भवन ,दूसरी मंजिल ,3 हॉल नंबर ,सेक्टर एच , 226024-लखनऊ , अलीगंज।
.14	पुणे	महाराष्ट्रदादरा और नगर ,गोवा , संघ राज्य क्षेत्र।/हवेली राज्य	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार , भूतलबीएसएनएल टेलीफोन ,एमएचएस कैरियर बिल्डिंग , (महाराष्ट्र) 411001-पुणे ,कैप ,एक्सचेंज कंपाउंड फोन नंबर29993430-020 -
.15	त्रिवेन्द्रम	केरल राज्य और लक्षद्वीप द्वीप।	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार , टीसी नंबर सी - त्रिवेन्द्रम ,उप्पलम रोड स्टैच्यू ,253255- 1(केरल) 695001 फोन नंबर2471483-0471 -
.16	हैदराबाद	तेलंगाना राज्य	अपर महानिदेशक (प्रादेशिक), प्रादेशिक लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार , भूतल, कमरा नं. 007, केन्द्रीय सदन , सुल्तान बाजार , कोटि , हैदराबाद-500095 ( तेलंगाना )

8. राजपत्रित अधिकारी/बैंक प्रबंधक/स्कूल के प्रिंसिपल/ किसी भी राज्य सरकार के कार्यालयों/उपक्रम के कार्यालयों के राज्य सरकार के अधिकारी/अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित की गई प्रमुख/व्यक्तिगत कलाकार की हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की 3(तीन) प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना है।

9. मंडली के साथ हाल की समूहिक तस्वीर की तीन प्रतियां आवेदन के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है।

क्र. सं.	मंडली की संख्या	कलाकारों/अभिनय करने वालों सहित अतिरिक्त कलाकारों की संख्या ।	सामूहिक- तस्वीर का आकार
.1	)10दस /कलाकार-(अभिनय करने वालों से मिलकर बनी मंडलियां ।	) 10दस ( से ) 15पंद्रह( कलाकार /अभिनय करने वाले ।	फोटो" कैबिनेट साइज" का होना चाहिए
.2	)08आठ /कलाकार-(अभिनय करने वालों से मिलकर बनी मंडलियां ।	) 08आठ ( से ) 12बारह( कलाकार /अभिनय करने वाले ।	-तदैव-
.3	)06छह /कलाकार-(अभिनय करने वालों से मिलकर बनी मंडलियां ।	)06छह ( से )09नौ( कलाकार /अभिनय करने वाले ।	फोटो" पोस्ट कार्ड साइज" का होना चाहिए

.4	)04चार /कलाकार-(अभिनय करने वालों से मिलकर बनी मंडलियों ।	04 चार से 06 छः कलाकार/ अभिनय करने वाले	-तदैव-
----	--	---	--------

• उपरोक्त तस्वीरों को राजपत्रित अधिकारी/बैंक प्रबंधक/स्कूल के प्रिंसिपल/ किसी भी राज्य सरकार के कार्यालयों/उपक्रम के कार्यालयों के राज्य सरकार के अधिकारी/अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

10. तस्वीरों के साथ, प्रत्येक कलाकार/अभिनय करने वाले का (1) नाम, (2) पिता/पति का नाम, (3) आवासीय प्रमाण पता, (4) चाहे वह एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो, (5) शैक्षिक योग्यता, (6) धर्म, (7) मातृभाषा, (8) राष्ट्रीयता, (9) मंडली/पार्टी में भूमिका जैसे विवरण दिखाने वाली एक अलग दस्तावेज़ होना चाहिए। इस दस्तावेज़ पर मंडली नेता द्वारा हस्ताक्षर करना होगा।

11. किसी विशेष मंडली के नेता सहित सभी कलाकारों की आयु सीमा 14.05.2022 को 18 (अठारह) वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

12. सांस्कृतिक मंडली, कलाकार और आकस्मिक /व्यक्तिगत कलाकार आवेदन के समय दो अलग –अलग जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित प्रत्येक कलाकार के दो चरित्र प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी या स्थानीय निकाय/पंचायत प्रमुख के निर्वाचित सदस्यों से सील सहित या किसी भी स्थानीय निकायों से उच्चतर विधायी निकाय, पीएसयू बैंकों के बैंक अधिकारियों, किसी भी भारत सरकार /राज्य सरकार के उपक्रम के अधिकारी, सरकारी डॉक्टरों, पोस्ट मास्टर्स, किसी भी पंजीकृत दवा चिकित्सक (आरएमपी), सेना के सदस्य/अधिकारी या किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारी, स्कूल शिक्षक (किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के)से प्राप्त किए जा सकते हैं।

13. मंडली और आकस्मिक/व्यक्तिगत कलाकारों के नेता अधिमानतः एक साक्षर होना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने, लिखने और धाराप्रवाह बोलने में सक्षम होना चाहिए। समूह के नेता को एक अच्छा सार्वजनिक संचारक होना चाहिए और उसे अधिमानतः एक कलाकार होना चाहिए और यदि नहीं, तो उसे मंच और लाइव आर्ट्स की अच्छी

समझ होनी चाहिए। उसे सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और देश से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक होना चाहिए।

14. सभी मामलों में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष ऑडिशन/स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने के लिए टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।

14. (क) स्क्रीन/ऑडिशन टेस्ट में पंजीकरण के लिये पात्रता:

क्रम सं..	श्रेणी	मंडली का आकार		स्क्रीनिंग/ऑडिशन परीक्षण के लिए अनुमत कलाकारों/ अभिनेता की संख्या।	क्षेत्र में कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए मानदंड।
		नियमित प्रोग्रामिंग गतिविधियों के लिए अनुमत अनुमति	अतिरिक्त कलाकारों / अभिनेता को लेने की अनुमत अनुमति		
1.	नाटक/नुक्कड़ - नाटक/नृत्य - नाटक/समग्र	मंडली का आकार 10(दस) सदस्यों से मिलकर बना हो।	केवल 05 (पांच) सदस्य।	15 (पंद्रह) तक - कलाकार/ अभिनेता।	क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले निजी पंजीकृत मंडलों को ऊपर वर्णित स्क्रीनिंग/ऑडिशन के समय अनुमोदित कलाकारों की सूची से होना चाहिए।
		मंडली का आकार 08 (आठ) सदस्यों से मिलकर बना हो।	केवल 04 (चार) सदस्य।	12(बारह) तक - कलाकार/ अभिनेता।	-वही-
2.	लोक और पारंपरिक गायन (एफटीआर), पौराणिक गायन (एमआर), जादू, कठपुतली और अन्य।	मंडली का आकार 06 (छह) सदस्यों से मिलकर बना हो।	केवल 03 (तीन) सदस्य।	09(नौ) तक - कलाकार/ अभिनेता।	-वही-
		मंडली का आकार 04 (चार) सदस्यों से मिलकर बना	केवल 02 (दो) सदस्य।	06(छे) तक - कलाकार/ अभिनेता।	-वही-

(B) स्क्रीनिंग/ऑडिशन टेस्ट की तारीख तक पार्टी के सदस्यों में बदलाव की अनुमति है, उसके बाद पार्टी में, सदस्यों के बदलाव की अनुमति नहीं है। विभाग स्वयं न्यायाधीशों के पैनल की उपस्थिति में स्क्रीनिंग के समय मंच पर कलाकारों की तस्वीरें लेगा और (क्रम संख्या 5 और 7 में उल्लिखित पूर्व-अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने वालों को) उसके आधार पर परिणाम घोषित होने के बाद चयनित पार्टियों/दलों के लिए समूह पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

15. गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का विवरण:

**क.** गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क 10 (दस) कलाकारों/अभिनेता और उससे अधिक सदस्यों वाली पार्टियों/दलों के लिए 2,000/- (दो हजार रुपए मात्र) होगा।

**ख.** कलाकारों/कलाकारों के 10 (दस) से कम सदस्यों वाले दलों/दलों के लिए अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क रु.1,000/- (एक हजार रुपए मात्र) होगा। सभी व्यक्तिगत कलाकारों को भी 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) रुपये जमा करने होंगे।

**ग.** गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारी, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो या संबंधित राज्य के वेतन एवं लेखा अधिकारी, वेतन एवं लेखा कार्यालय के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है, जहां यह सभी आवेदनों के संबंध में लागू है। डिमांड ड्राफ्ट जमा करने पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, आवेदक अपने संबंधित क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो से संपर्क कर सकते हैं।

#### 16. पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने में छूटः:

(1) (1) (i) एससी या (ii) एसटी या (iii) महिला की अध्यक्षता वाली मंडली के मामले में पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग से संबंधित व्यक्तिगत कलाकारों को भी छूट दी गई है। इस तरह की छूट की मांग करने वाली मंडली को आवेदन पत्र के साथ प्रासंगिक प्रमाण पत्र सकारात्मक रूप से जमा करना होगा।

(2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के नेतृत्व वाली मंडली के मामले में पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी या उपरोक्त तीन श्रेणियों की मंडली की कुल संख्या का 50% प्रतिनिधि होगा। ऐसी छूट चाहने वाली मंडलियों को आवेदन पत्र के साथ प्रासंगिक प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। यह पंजीकरण शुल्क गृह मंत्रालय, उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबर द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप एवं राज्यों द्वारा पहचाने गए वामपंथी उग्रवाद जिले में तैनात सांस्कृतिक समूहों या व्यक्तिगत कलाकारों के लिए लागू नहीं होगा। इस श्रेणी के तहत छूट प्राप्त करने के लिए, मंडली के सभी सदस्यों को संबंधित राज्य / क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए, उदाहरण के लिए मेघालय में स्थित एक पार्टी / मंडली / कलाकार पंजीकरण शुल्क से छूट चाहता है। यह तभी हकदार होगा जब इसकी मंडली के सभी सदस्य मेघालय से संबंधित हों और अपनी टीम के सदस्यों के संबंध में दस्तावेज प्रमाण जैसे निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसी छूट की मांग करने वाले मंडलों/कलाकारों से अनुरोध है कि वे आवेदन प्रपत्रों के साथ प्रासंगिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

(3) गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित वामपंथी उग्रवाद जिलों में तैनात आकस्मिक कलाकारों/व्यक्तिगत कलाकारों/सूचीबद्ध कलाकारों के लिए पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:

क्रम सं.	राज्य	चिन्हित जिलों का नाम
1.	तेलंगाना(8)	आदिलाबाद, कोमाराम-भीम, भद्राद्री-कोठागुडेम, जयशंकर-भूपालपल्ली, खम्मम, पेद्दापल्ली, मनचेरियल वारंगल ग्रामीण।
2.	छत्तीसगढ़ (14)	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, बालोद, सुकमा, धनतारी, गरियाबंद, बलरामपुर, कोंडागांव।
3.	मध्य प्रदेश(2)	बालाघाट, मंडला
4.	महाराष्ट्र (3)	चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया।

5.	ओडिशा(15)	कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, रायगड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, देवगढ़, कालाहांडी, बौध, अंगुल, बरगढ़, कंधमाल, बोलांगीर, नुआपाड़ा।
6.	उत्तर प्रदेश(3)	चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र।
7.	पश्चिम बंगाल(1)	झारग्राम
8.	केरल(3)	मलप्पुरम, पलक्कड़, वायनाड।

17. निजी सांस्कृतिक मंडली और बीओसी/आरओबी के तहत काम करने वाले आकस्मिक/व्यक्तिगत कलाकार केवल संविदात्मक कार्य के अधीन हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से बीओसी/आरओबी, भारत सरकार का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद इन पीआरटी को कार्यक्रम प्रदान करने या आवंटित करने के लिए भारत सरकार जिम्मेदार या अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं है। पैनल में शामिल होने का मतलब केवल सरकार द्वारा आवश्यक होने पर अभिनय के लिए पंजीकरण करना है।

18. निजी पंजीकृत मंडलियों (पीआरटी) के सदस्यों और आकस्मिक/व्यक्तिगत कलाकारों को, उपरोक्त संविदात्मक कार्य पर प्रदर्शन करते समय हर समय अनुशासन बनाए रखना होता है। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी)/क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो (आरओबी), भारत सरकार के बैनर के तहत प्रदर्शन करते समय उनका व्यवहार जनता के सामने अनुकरणीय होना चाहिए। यदि ऐसे किसी कलाकार/पीआरटी के विरुद्ध सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग ऐसी किसी मंडली/कलाकार को पदच्युत करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। संबंधित बीओसी और आरओबी नागरिक समाज के प्रति पीआरटी के सदस्यों की किसी भी व्यक्ति की गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

19. स्क्रीनिंग/ऑडिशन के पूरा होने पर, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बीओसी के तहत बीओसी/आरओबी के साथ पंजीकरण के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग मंडली के परिणाम की सिफारिश की जाएगी। अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात चयनित मंडलियों/कलाकारों को ही पंजीयन दिया जायेगा।

20. केवल पूर्ण आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदनों की जांच के बाद, जिन मंडली नेताओं/व्यक्तिगत कलाकारों के आवेदन सही पाए जाते हैं, उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के समक्ष उनके सह-कलाकारों/कलाकारों और अन्य दस्तावेजों के साथ स्क्रीनिंग/ऑडिशन टेस्ट के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया जाएगा।

**21. 50% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले वे सभी निजी सांस्कृतिक समूह और आकस्मिक/व्यक्तिगत कलाकार बीओसी/आरओबी के साथ पैनल में शामिल होने के पात्र होंगे।**

22. स्क्रीनिंग इस विज्ञापन के पैरा 2 में संदर्भित दिशा-निर्देश संख्या 14011/01/2018-पी एंड सी, दिनांक 04.07.2018 के अनुसार आयोजित की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशें प्रमुख, बीओसी, नई दिल्ली (मुख्यालय) के अनुमोदन के बाद अंतिम होंगी।

23. प्रदर्शन का मूल्यांकन वेशभूषा, श्रृंगार, संपत्तियों के उपयोग, संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग और समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा जिसमें आवश्यक संदेश को आकर्षक तरीके से डालने में दक्षता आदि शामिल है।

24. कार्यक्रम केवल उन्हीं पंजीकृत निजी सांस्कृतिक मंडलियों/आकस्मिक/व्यक्तिगत कलाकारों को प्रस्तुत किए जाएंगे जो समय-समय पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने, समय पर बिल जमा करने के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रमाण में फोटोग्राफ जैसे आवश्यक दस्तावेज, जिसमें निष्पादित कार्यक्रमों की फीड बैक आदि शामिल हैं।

25. कार्यक्रमों के पूरा होने और बिल और संबंधित दस्तावेज / प्रमाण पत्र जमा करने पर, निष्पादित कार्यक्रमों का भुगतान बढ़ाये गये अनुमोदित ग्रेड के अनुसार जारी किया जाएगा।

26. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आईडी नंबर 1/2(9)10-एफएस, दिनांक 07.06.2018 की निर्धारित दरों और दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित कार्यक्रमों की फीस का भुगतान संबंधित निजी मंडली / मंडली के नेताओं / सदस्यों / पैनल में शामिल कलाकारों के पक्ष में किया जाएगा।

स्वीकृत दरों और दिशानिर्देशों के अनुसार, संरचना निम्नलिखित है:

**I. मंडली श्रेणी: वर्गीकरण के बिना केवल पी आरटी/ईए हो सकता है।**

- i) मंडली साइज: मंडली 4 साइज यानी मंडली लीडर सहित 4/6/8/10 सदस्य के होंगे।
- ii) शुल्क संरचना: शुल्क संरचना में 3 घटक शामिल हो सकते हैं:
  - i) मंडली के व्यक्तिगत सदस्य और उसके नेता/ईए के लिए प्रदर्शन शुल्क।
  - ii) पीएएस (पब्लिक एड्रेस सिस्टम), मंडली रखरखाव, फोटोग्राफ (सॉफ्टकॉपी), बैनर इत्यादि के लिए लॉजिस्टिक शुल्क के रूप में मंडली लीडर को एकमुश्त शुल्क।
  - iii) यात्रा किराया जो तभी स्वीकार्य होगा जब मंडली /ईए अपने पंजीकरण के राज्य के बाहर प्रदर्शन करते हैं।

**III) पीआरटी की निष्पादन शुल्क:**

- i) मंडली लीडर का निष्पादन शुल्क - 1000 रुपये / दिन।
- ii) मंडली के सदस्य का निष्पादन शुल्क - 800 रुपये / दिन।
- iii) घटना में, एक दिन में एक से अधिक कार्यक्रम होते हैं, अतिरिक्त निष्पादन शुल्क @ रु 300 प्रति दिन (एक से अधिक कार्यक्रमों वाले दिनों में) मंडली के नेता और मंडली के सदस्यों दोनों को भुगतान किया जा सकता है।

**IV.** मंडली के नेता को रसद शुल्क: मंडली लीडर को लॉजिस्टिक शुल्क का भुगतान क्रमशः 4/6/8/10 सदस्य मंडली के लिए प्रति दिन 1500/2000/2500/3000 प्रति दिन किया जा सकता है। लॉजिस्टिक शुल्क में पीएएस (पब्लिक एड्रेस सिस्टम), मंडली रखरखाव, कार्यक्रम की तस्वीरें (सॉफ्टकॉपी) और तैयारी बैनर आदि के रखरखाव के लिए शुल्क शामिल होंगे।

27. उपरोक्त के आधार पर मंडलीवार समेकित शुल्क निम्नलिखित होगा:

प्रस्तावित ('क', 'ख', 'ग', के स्थान पर एकल श्रेणी)

क्रम सं.	मंडली का आकार	नेता के लिए शुल्क	नेता के लिए शुल्क	रसद शुल्क के लिए राशि।	कुल
1.	10-सदस्यों	रु. 1,000/- प्रति कार्यक्रम	रु.800/- X 9- सदस्यों = रु. 7,200/- प्रति कार्यक्रम	रु. 3,000/- प्रति कार्यक्रम	रु.11,200/- प्रति कार्यक्रम
2.	08-सदस्यों	रु. 1,000/- प्रति कार्यक्रम	रु.800/- X 7- सदस्यों = रु. 5,600/- प्रति कार्यक्रम	रु.2,500/- प्रति कार्यक्रम	रु.9,100/- प्रति कार्यक्रम
3.	06-सदस्यों	रु. 1,000/- प्रति कार्यक्रम	रु.800/- X 5- सदस्यों = रु. 4,000/- प्रति कार्यक्रम	रु.2,000/- प्रति कार्यक्रम	रु.7,000/- प्रति कार्यक्रम
4.	04-सदस्यों	रु. 1,000/- प्रति कार्यक्रम	रु.800/- X 3- सदस्यों = रु. 2,400/- प्रति कार्यक्रम	रु.1,500/- प्रति कार्यक्रम	रु.4,900/- प्रति कार्यक्रम

• घटना में, एक दिन में एक से अधिक कार्यक्रम हैं, अतिरिक्त प्रदर्शन शुल्क @ रु 300 / - (रुपये तीन सौ केवल) प्रति दिन (एक से अधिक कार्यक्रमों वाले दिनों में) मंडली के नेता और मंडली सदस्य दोनों को भुगतान किया जा सकता है।

### व्यक्तिगत कलाकारों के संबंध में शुल्क संरचना:

प्रस्तावित ('क', 'ख', 'ग', के स्थान पर एकल श्रेणी)		
स्थानीय कार्यक्रमों के लिए पारिश्रमिक (प्रति दिन शुल्क)	बाहरी कार्यक्रमों के लिए पारिश्रमिक (प्रति दिन शुल्क)	रिहर्सल शुल्क प्रति दिन
रु.1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) प्रति कार्यक्रम।	रु.1,500/- (रुपये एक हजार पांच सौ मात्र) प्रति कार्यक्रम।	रु.400/- (रुपये चार सौ मात्र) प्रति पूर्वाभ्यास।
<ul style="list-style-type: none"> <li>• आयोजनों में, यदि एक दिन में एक से अधिक कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे कार्यक्रम दिवसों पर अतिरिक्त शुल्क @ रु.300/- (रुपये तीन सौ मात्र) प्रति दिन होगा।</li> </ul>		
यात्रा भत्ता: चैयर कार या डीलक्स बसों (वोल्वो को छोड़कर), तीसरा एसी का रेल किराया।		

28. संबंधित आरओबी निष्पादित कार्यक्रमों के लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो वास्तव में संबंधित आरओबी द्वारा पेश किया गया है।

29. बीओसी/आरओबी की आवश्यकता के अनुसार और धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी। बीओसी/आरओबी प्रति माह या वर्ष में किसी निश्चित संख्या में कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए कोई गारंटी या किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देंगे।

30. निजी सांस्कृतिक दल/आकस्मिक/व्यक्तिगत कलाकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित कहीं भी कम से कम समय में 10-15 दिनों के लिए काम करें।

31. आवेदक ध्यान दें कि प्रदर्शन की स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान प्रदर्शन और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल में शामिल करने के लिए किसी अन्य कारक को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और दिशानिर्देशों के अनुसार यही एकमात्र स्थापित प्रक्रिया है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पैनल में शामिल कराने का दावा करने वाले व्यक्तियों/संगठनों के बहकावे में न आएं। स्क्रीनिंग कमेटी पर पैनल में शामिल होने के लिए किसी बाहरी दबाव से निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए।

32. बीओसी, नई दिल्ली के प्रमुख, बिना कोई कारण बताए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

33. इस विज्ञापन का विवरण रोजगार समाचार के नवीनतम अंक, रोजगार समाचार, प्रमुख समाचार पत्रों और वेबसाइट [www.davp.nic.in](http://www.davp.nic.in) से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए यदि आवश्यक हो, तो मंडली के नेता संबंधित आरओबी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

34. निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत भरा हुआ आवेदन 14 जून, 2022 को या उससे पहले सायं 6:00 बजे तक पैरा 7 में दिए गए पते पर ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के संबंधित क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो को पहुंच जाना चाहिए। यह विज्ञापन एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार, स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

इसे प्रमुख, बीओसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: अनुलग्नक-1

संयुक्त निदेशक (कार्यक्रम),  
आउटरीच और संचार ब्यूरो,  
नई दिल्ली (मुख्यालय)

\*\*\*\*\*



लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के साथ निजी सांस्कृतिक मंडलों / व्यक्तिगत कलाकारों का पंजीकरण आवेदन पत्र का प्रारूप

राजपत्रित अधिकारी / बैंक प्रबंधक / स्कूल प्रधानाचार्य / राज्य सरकार के अधिकारी/ किसी भी राज्य सरकार के कार्यालय के अधिकारी/ उपक्रम अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित नेता / व्यक्तिगत कलाकारों (आकस्मिक कलाकारों) के पासपोर्ट आकार के फोटो की 3 प्रतियां चिपकाएं।

1. मंडली/व्यक्तिगत कलाकार का नाम (बड़े अक्षरों में) : \_\_\_\_\_
2. निवासी प्रमाण के साथ नेता/व्यक्तिगत कलाकार का नाम और पता: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. मंडल लीडर/व्यक्तिगत कलाकार की जन्म तिथि: \_\_\_\_\_  
(आयु 14.05.2022 को: \_\_\_\_\_)
4. पिता/माता/पति/पत्नी/अभिभावक का नाम: \_\_\_\_\_
5. मंडल नेता/व्यक्तिगत कलाकारों की शैक्षिक पृष्ठभूमि: \_\_\_\_\_
6. अनुभव, यदि कोई हो: \_\_\_\_\_
7. पूर्व के प्रदर्शन का विवरण  
(संलग्न अतिरिक्त पत्रक): \_\_\_\_\_
8. प्रदर्शन का प्रकार (नाटक/संगीत/नृत्य नाटक/कठपुतली/  
जादू/लोक और पारंपरिक गायन/पौराणिक गायन/  
कम्पोजिट/कोई अन्य) : \_\_\_\_\_
9. प्रदर्शन की भाषा : \_\_\_\_\_
10. कलाकारों की संख्या  
(i) जांच समिति के सामने पेश होने के लिए : \_\_\_\_\_ पुरुष \_\_\_\_\_ महिला \_\_\_\_\_ कुल  
(ii) पंजीकरण प्राप्त करने के बाद  
कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए  
: \_\_\_\_\_ पुरुष \_\_\_\_\_ महिला \_\_\_\_\_ कुल
11. मंडल के महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  
के कलाकारों की संख्या : \_\_\_\_\_ महिलाएं, \_\_\_\_\_ अनुसूचित जाति और  
\_\_\_\_\_ अनुसूचित जनजाति
12. क्या शौकिया/पेशेवर हैं : \_\_\_\_\_
13. समूह के बैंक का नाम और खाता संख्या, यदि कोई हो : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

14. नाम/पिता का नाम/पति का नाम/

अभिभावक का नाम, पता, कलाकारों की उम्र

(अलग शीट/दस्तावेज संलग्न है)

15. डिमांड ड्राफ्ट नंबर का विवरण : डीडी नंबर: \_\_\_\_\_

आवेदन के साथ संलग्न : दिनांक: \_\_\_\_\_, रु. \_\_\_\_\_

(रुपये \_\_\_\_\_ केवल)

16. आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की संख्या : \_\_\_\_\_

17. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम और पता : (1) \_\_\_\_\_

जो मंडली और नेता की योग्यता अच्छी तरह से

प्रमाणित कर सकता है : (2) \_\_\_\_\_

(दो व्यक्तियों की गवाही)

18. क्या सभी कलाकारों सहित नेता/व्यक्तिगत

कलाकारों के आवश्यक चरित्र प्रमाण पत्र और अन्य

दस्तावेजको संलग्न किया गया है : \_\_\_\_\_

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण और संलग्न दस्तावेज मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
आवेदक के हस्ताक्षर (मंडल के नेता/व्यक्तिगत कलाकार)

पहले से पंजीकृत मंडलियों के लिए

1. मंडली का नाम : \_\_\_\_\_

2. दूप लीडर का नाम और पता : \_\_\_\_\_

3. मंडली कब से पंजीकृत है : \_\_\_\_\_

4. अवधि के दौरान आवंटित कार्यक्रमों की संख्या : \_\_\_\_\_

5. निष्पादित/प्रदर्शन किए गए कार्यक्रमों की संख्या : \_\_\_\_\_

6. अस्वीकृत/गैर-निष्पादित कार्यक्रमों की संख्या : \_\_\_\_\_

7. जांच के बाद बदले/हटाए गए कलाकारों की संख्या : \_\_\_\_\_

8. श्रेणी, जिसमें मंडली पंजीकृत है : \_\_\_\_\_

9. आरओबी/बीओसी के साथ संलग्न मंडली का नाम  
है : \_\_\_\_\_

10. दल के सदस्यों की पहले से उपलब्ध एक सामूहिक  
तस्वीर संलग्न की जाए : \_\_\_\_\_

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण और संलग्न दस्तावेज मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
आवेदक के हस्ताक्षर (दल के नेता/व्यक्तिगत कलाकार)

आवेदन के साथ संलग्न किया जाना

क्रमांक सं.	कलाकारों/नेता का नाम	पिता/पति का नाम	पता	क्या एससी/एसटी/ओ बीसी से संबंधित हैं	शैक्षिक योग्यता	धर्म	मातृ भाषा	राष्ट्रीयता	मंडली में भूमिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

दिनांक:

मंडली नेता के हस्ताक्षर

\*\*\*\*\*